राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :–प.6 (53) परि/कर/मुं./03 जयपुर दिनांक : 05.03.09

कार्यालय आदेश.....04..../2008

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5/98, 22/98, 68/2003, 20/2005, 9/2007 एवं 3/08 द्वारा समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/जिला परिवहन अधिकारियों/कराधान अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो वाहन जिस जिले में पंजीकृत हैं/फिटनेस ले रही है/कर खाता है, कर देयता हेतु निर्धारित तिथि तक, उन्हें उसी जिले में स्वतः कर जमा कराने का अवसर दिया जावें। तत्पश्चात् उक्त वाहनों के द्वारा निर्धारित तिथि तक स्वतः कर नहीं जमा कराने पर किसी भी जिले में सक्षम अधिकारी द्वारा बकाया राशि मय शास्ति एवं प्रशमन राशि के वसूल की जावें।

परन्तु इस सम्बन्ध में बार–बार निर्देशित किये जाने के बाद भी ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कई परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक अपने लक्ष्य पूर्ति हेतु अन्य जिलों में पंजीकृत तथा फिटनेस लेने वाले वाहनों विशेषकर भार वाहनों से देय तिथि (25 मार्च) से पूर्व ही कर वसूल लेते है जिससे राजस्व संग्रहण पंजिका के संधारण तथा वाहन स्वामी को कर का सत्यापन देने एवं एम टी सी IV जारी करने में समस्या आती है।

अतः यह पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों तथा पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी समस्त कार्यालय आदेशों की पालना अक्षरशः की जावे। किसी भी स्तर पर उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही की जावेगी तथा उनके द्वारा अन्य जिलों में देय कर की वसूली निर्धारित तिथि से पूर्व करने पर यह राशि उन्हें आवंटित लक्ष्य का भाग नहीं मानी जावेगी।

(निरंजन आर्य)
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, राजस्थान जयपुर
3. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय
4. उपायुक्त (रिट) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर
5. समस्त प्रादेशिक/अति./जिला परिवहन अधिकारी
6. प्रभारी कर संग्रह केन्द्र

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्र.नि.)